(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7250-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-10-2016 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 31/बी-103/2015-16/33.

श्रीमती रेवती पत्नी रामहेत जाटव
निवासी मरी माता मन्दिर के पास
कुशवाह मोहल्ला, फूलबाग, लश्कर, ग्वालियर .....आवेदिका

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर
2. श्रीमती नीता पत्नी नारायण दास गुप्ता
   जामदार पिछाड़ी ड्योढ़ी लश्कर, गवालियर .....अनावेदकगण

श्री पी.के; तिवारी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 27-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय में अनावेदिका क्रमांक 2 नीता गुप्ता विरूद्ध आवेदिका रेवती आदि के मध्य प्रचलित व्यवहार वाद क्रमांक 24ए/2013 में प्रश्नाधीन विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 12-5-2012 के आधार पर संविदा के विशिष्ट पालन हेतु अनावेदिका क्रमांक 2 प्रस्तुत किया गया । प्रश्नाधीन विक्रय अनुबंध पत्र न्यून मुद्रांकित होने के कारण व्यवहार न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत परिबद्ध कर बाजार मूल्य निर्धारण एवं कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प को भेजा गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वाराप्रकरण क्रमांक 31/बी-103/2015-16/33 दर्ज कर दिनांक 27-10-2016 को आदेश पारित कर विक्रय अनुबंध पत्र में दर्शाया गया बाजार मूल्य रूपये 21,40,000/- पर 1 प्रतिशत की दर से रूपये 21,400/- मुद्रांक

शुलक निर्धारित किया जाकर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 21,300/- एवं अर्थदण्ड रूपये 42,600/- कुल रूपये 63,900/- जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण में उत्पन्न वाद बिन्दु एवं अधिनियम के प्रावधानों को अनदेखा कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका क्रमांक 2 द्वारा जानबूझ कर अपवंचन किया गया है, जबकि वह शिक्षित महिला होकर, उसके परिवर में विधि के जानकार हैं । अन्त में तर्क पस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा जब यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन विक्रय अनुबंध पत्र अपंजीकृत होकर न्यून मुद्रांकित है, तब उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप 10 गुना शास्ति अधिरोपित करना चाहिए थी, किन्तु उनके द्वारा मात्र 1 प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित करने में जहां अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, वहीं शासन को भी राजस्व की हानि हुई है । उनके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त कर अनावेदिका क्रमांक 2 पर 10 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधिनियम के प्रावधानों एवं अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन विक्रय अनुबंध पत्र कब्जा रहित होने के आधार पर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 21,300/- निर्धारित किया जाकर अधिनियम की धारा 40(2) के तहत मुद्रांक शुल्क के दोगुनी राशि रूपये 42,600/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर कुल रूपये 63,900/- जमा करने के आदेश दिये गये हैं, जो कि विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 27-10-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर